



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand

E-mail: eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 719 /7 सी0

दिनांक 23 - मार्च 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिसरा कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.985 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण (प्रस्ताव सं0 16207 /2015)

संदर्भ: कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरैस्ट कालौनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 882/ FP/UK/ROAD/16207/2015 दिनांक 29 सितम्बर 2021 एवं आपका ई0डी0एस0 दिनांक 21.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में चाही गयी सूचना निम्नवत है:-

आपत्ति	निराकरण
1- प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में विषय सूची संलग्न नहीं की गयी है। विषय सूची पृष्ठ संख्या सहित संलग्न की जाय।	प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में विषय सूची संलग्न कर ली गयी है। विषय सूची पृष्ठ संख्या सहित संलग्न कर ली गयी है। विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी इस कार्यालय के पत्र सं0 3149/7सी0 दिनांक 28 दिसम्बर 2021 से आपको प्रेषित की जा चुकी है।
2- प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 2006 के प्रपत्र/अभिलेख छायाप्रतियों में, जिनमें कतिपय पृष्ठ अपठनीय हैं, संलग्न किये गये हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रस्ताव की मूल प्रति में एफ0आर0ए0 2006 की मूल प्रति संलग्न की जाय तथा शेष दो प्रतियों में प्रपत्रों की पठनीय सत्यापित प्रतियों संलग्न की जाय।	प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 2006 के प्रपत्र/अभिलेख पृष्ठ सं0 6 से 14 में संलग्न कर लिये गये हैं।
3. प्रस्तावित मोटर मार्ग की वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।	प्रस्तावित मोटर मार्ग से वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 59 में संलग्न कर लिया गया है।
4. ग्राम पंचायत ढौरा तथा ग्राम पंचायत भैसोड़ा के तोक कुन्डूड़ा के ग्राम सभा की अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रतियों संलग्न की गयी है। मूल प्रति संलग्न की जाय।	प्रस्तावित मोटर मार्ग में ढौरा एवं भैसोड़ा ग्राम पंचायत की भूमि नहीं आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में ग्रामवासियों की अनापत्ति पृष्ठ सं0 64 में संलग्न कर ली गयी है।
5. प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के आर0सी0सी0 पिलरों का प्राक्कलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।	प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के आर0सी0सी0 पिलरों का प्राक्कलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण पत्र पृष्ठ सं0 87 एवं 88 में संलग्न कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

पत्रांक:- /7सी0

तददिनांक

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।